

प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज दिनांक—मई 09, 2019

- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग—
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 102 वाहनों से मु0-16800/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।
- पैदल गश्त अभियान:—पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते 290 भादवि में 20 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।
- गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही—
थाना पनियरा से 04 अभियुक्तगण—1.छांगुर पुत्र स्व0 केदार साकिन रामनगर थाना पनियरा, 2.गुड्डू पुत्र शर्मा साकिन विशुनपुर थाना पनियरा, 3.शेषनाथ चौरसिया पुत्र लक्ष्मी साकिन बहरामपुर थाना पनियरा, 4.रामदयाल पुत्र रामदरश साकिन मोहद्दीनपुर थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध मु0अ0सं0-निल/2019, धारा-3/4 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।
- एन0डी0पी0एस एक्ट में की गयी कार्यवाही—
थाना कोठीभार से अभियुक्त—अंगद पासवान पुत्र नन्दकिशोर पासवान साकिन कटहरी थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से अवैध 700 ग्राम गांजा बरामद कर मु0अ0सं0-105/2019, धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट की कार्यवाही की गयी।
- आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही—
थाना घुघली पुलिस द्वारा—अभियुक्त मुन्नन पुत्र मोतीलाल साकिन मेदनीपुर थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से नाजायज 01 अदद चाकू बरामद कर थाना पनियरा पर मु0अ0सं0-100/2019 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जेल भेजा गया।
- विवेचनाओं का निस्तारण—पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 08/09.05.2019 को विभिन्न अपराधों में कुल-11 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

